AKG-KS/2D/5.00

श्री मेघराज जैन (क्रमागत) : समझ में नहीं आता, वे क्या बोलते हैं! उनके दिमाग में केवल माल्या जैसे बड़े लोग हैं, जिनका दिवाला निकल गया था, उसके बाद भी उनको हजारों करोड़ रुपए का लोन बैंक से दिलाया गया। वे खाकर भाग गए। ऐसे NPA के जितने cases हैं, आप ज़रा उनमें देखिए कि कितना ऋण दिया गया। वह ऋण किनके जमाने में दिया गया? वह NPA हो गया, उनके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लोगों की सम्पत्तियाँ जब्त हो रही हैं। लोग जेल जा रहे हैं। लोग पैसा जमा करा रहे हैं। जो पैसा नहीं जमा करा रहे हैं, वे जेल जा रहे हैं। आज यह स्थिति है। इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे आज़ाद साहब ने सरदार पटेल की बात कही। अभी हमारे आदरणीय राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी ने उदाहरण बता दिया कि अगर सरदार पटेल की बात मान ली होती, सरदार पटेल को सम्मान दिया होता, तो आज कश्मीर की समस्या हमारे सामने नासूर बन कर खड़ी नहीं होती। हमने कश्मीर में अरबों रुपए फूँके हैं, लगातार इतने वर्षों में कश्मीर में हमारे हजारों-लाखों जवान शहीद हुए हैं। यह सब किसके कारण हुआ है? क्या आपके पास इसका जवाब है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका दोषी कौन है? अगर हम नाम ले लें, तो आप एक मिनट में उछल पड़ेंगे। आप हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं। उनकी सोच के कारण आज यह देश तबाह

हुआ। उन्होंने तिब्बत की बात कही। राजेन्द्र बाबू ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि तिब्बत पर ध्यान दीजिए, पर नहीं, उस समय तो उन पर पंचशील का नशा चढ़ा हुआ था। तश्तरी में रख कर तिब्बत चीन को दिया गया है। दुनिया समझती है कि बीच में एक बफर स्टेट रहना चाहिए। पर उसको समाप्त करके चीन को हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा किया गया। इसका दोषी कौन है? आज आप डोकलाम की बात करते हैं। उनके एक नेता हैं, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे जहाँ चाहें, कुछ भी बोलते हैं। यह किसके कारण हुआ है? चीन यहाँ तक क्यों आया? आप ज़रा इसके बारे में विचार करिए। आप देश से इसके लिए माफी माँगिए। परन्तु आज वे जो चाहे बोलते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उस अभिभाषण के अन्दर गरीबों की, किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, महिलाओं की बात कही गई है, उनके विकास के लिए कहा गया है। अभी जो बजट आया है, उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया। पहले उन्होंने कहा कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं है। अगर हम उसके अन्दर बड़े उद्योगपतियों की बात करते, तो उनको बड़ा अच्छा लगता। हम किसानों को subsidy दे रहे हैं। हमने उज्ज्वला योजना के अन्दर महिलाओं को gas connections दिए। हमने गाँव-गाँव के अन्दर शौचालय बनाए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू की गई। जो काम 1952 में होना था, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहला काम होना था, वह यह होना चाहिए

था कि गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाता, तो गाँवों से पलायन नहीं होता। गाँव की सब्जियाँ बाजार में आ जातीं, दूध बाजार में आ जाता। लोगों ने इसीलिए दूध का उत्पादन नहीं किया, क्योंकि बाजार में उसे ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। छोटी-छोटी पुलियाँ नहीं थीं, वहाँ नाले थे, लोग जा नहीं सकते थे। लेकिन उस समय यह काम नहीं किया गया। अटल जी के समय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। आज गाँवों का विकास हो रहा है। गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। कस्बों को सड़कों से जोड़ा गया है। आज देश की सड़कें ठीक हुई हैं, आवागमन के साधन बढ़े हैं। देश की यह तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। उनका सोचना है कि हम गरीब की बात क्यों कर रहे हैं। आज तक आपने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन गरीब का विकास नहीं किया। मुझे एक घटना याद है, मैं यहाँ उस घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। 1980 के अन्दर जनता सरकार गिर गई। जब जनता सरकार गिर गई, तो चुनाव हुआ और उस चुनाव में जनता सरकार हार गई। हमारे एक कांग्रेसी मित्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी समझ में आया कि सरकार कैसे चलाते हैं, आपको सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि आपने लोगों को सभी लाइनों से हटा दिया। घासलेट की लाइन समाप्त, शक्कर की लाइन समाप्त, गेहूँ की लाइन समाप्त, कोयले की लाइन समाप्त। हर चीज की लाइन लगती थी, लोग सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते थे। वे बड़े खुश होते थे कि वे अपनी झोली में दो किलो अनाज लेकर घर आ गए। अगर शक्कर ले कर आ गए, तो बड़े खुश हो

कर कहते थे कि मैं शक्कर ले आया। उनको घासलेट मिल गई, तो वे समझते थे कि मुझे मिट्टी का तेल मिल गया। आपने सब लाइनें समाप्त कर दीं। उस समय शक्कर 1.5 रुपए किलो मिलने लग गई थी। वे सब कंट्रोल की दुकानें एक प्रकार से बंद हो गई थीं।

(2ई/एससीएच पर जारी)

SCH-RSS/5.05/2E

श्री मेघराज जैन (क्रमागत) : उन्होंने कहा कि अब इन लोगों के पास कोई काम नहीं रहा है, आदमी बस रोटी खाता है और फालतू बैठा बातें करता रहता है कि चरण सिंह ने क्या किया, मोरारजी ने क्या किया, जगजीवन राम ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, दिन भर चर्चा करता रहता है, जिससे आपके बारे में अब यह विचार बन गया है कि यह सरकार काम की ही नहीं है, इसलिए आपको हटा दिया गया, लेकिन हमने तो इनको लाइन में लगा रखा था, इसलिए इनके पास सरकार के बारे में विचार करने का मौका ही नहीं था। यह तो इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि गरीब, गरीब ही बना रहे और इनको इसी प्रकार से गरीबों का वोट मिलता रहे। अगर गरीब के पेट में रोटी पहुंच जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, तो पाप बंद हो जाएंगे। "बुभुक्षितं किं न करोति पापं", भूखा आदमी सब प्रकार के पाप करता है और अगर उसको रोटी मिल गई, तो पाप बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग चलने लगेगा, वह पढ़ाई की तरफ सोचने लगेगा, हमारे बारे में सोचने

लगेगा, ऐसे में फिर अगली बार हमारी सरकार नहीं आ पाएगी। इस तरह की सोच के कारण इन्होंने कभी गरीब को उठने ही नहीं दिया है।

महोदय, आज जब गरीब की बात होती है, तो इनको लगता है कि यह योजना काहे के लिए है, वह योजना काहे के लिए है और इसमें तो विकास की कोई बात ही नहीं है, आपने केवल किसान का बजट कर दिया। महोदय, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब मैं राजनीति में आया था, तब मैंने पंडित दीनदयाल जी को पढ़ा था। नानाजी देशमुख ने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था - "हर खेत को पानी - हर हाथ को काम"। अगर खेत को पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा, तो किसान तरक्की कैसे करेगा? पहले लोग यूरिया के लिए लड़ते थे, क्योंकि वह ब्लैक में मिलता था, यूरिया के लिए झगड़े होते थे, इसके लिए लाइनें लगती थीं। गांव में यूरिया आ गया, यह सुनते ही लोग दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज वह समस्या समाप्त हो गई है, क्योंकि यूरिया की कालाबाज़ारी बंद हो गई है। अब नीम कोटेड यूरिया कर दिया गया है। आज किसानों को जितना भी यूरिया चाहिए, खूब आराम से मिलता है। हम तो इससे भी आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमने नई योजना बनाई है, जिससे उसको यूरिया लेना ही नहीं पड़े। हमारी योजना है कि देश में जैविक कृषि हो, जिससे शुद्ध अनाज पैदा हो।

महोदय, अभी हमारे कश्यप जी बोल रहे थे कि इन रासायनिक कीटनाशकों और खाद के कारण अनाज, दूध, फल, सब्जियां, सब जहरीले हो

गए हैं। जैविक कृषि करने से लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, पर्यावरण सुधरेगा, जीव विविधता सुधरेगी और पीने का पानी शुद्ध होगा। आज पीने का पानी शुद्ध नहीं है। ट्यूबवेल्स का पानी जहरीला हो गया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रारम्भिक और छोटा काम है, उस काम को करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। पिछले 70 साल में हमने यह देख लिया है कि देश का विकास नीचे से होगा। ऊपर से देश का विकास नहीं हो सकता है। ऊपर से विकास करने वाली सभी योजनाएं फेल हो गईं, इसलिए विकास होगा तो हमेशा नीचे से होगा, जमीन से होगा। प्रत्येक आदमी, जिसकी बिवाई फटी हुई है, जो सबसे नीचे की पायदान पर खड़ा है, उसी से देश का विकास होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सबसे नीचे की पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की फटी हुई बिवाई को जब तक हम भर नहीं देंगे, जब तक हम उसकी आंखों का आंसू पोंछ नहीं देंगे, तब तक हम समझेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा नारा है - "सबका साथ-सबका विकास"। जाति-पाति, भाषा, प्रांत, धर्म, सबको छोड़ करके और सबको साथ में ले करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हम सबका एक ही नाता है, भारत हमारी माता है और हम सब इसके बेटे हैं, इसलिए सब प्रकार की सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलें।

महोदय, मैं बड़े गर्व से यह बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने जो भी योजनाएं शुरू कीं, उनमें से एक भी योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। "कन्यादान योजना" के तहत सामूहिक रूप से निकाह किए जा रहे हैं। मुख्य

मंत्री स्वयं वहां जाते हैं और प्रत्येक कन्या को 25,000 रुपये का सामान सरकार की तरफ से दिया जाता है। सभी योजनाओं में किसी भी भाषा, प्रांत, जाति या ऊंच-नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हमारी शासन करने की पद्धति इस प्रकार की है कि सबको समान रूप से इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

अगर यह पद्धति सफल हो गई, गरीब आदमी खड़ा हो गया, किसान जाग गया, किसान की गरीबी दूर हो गई, तो समझिए सब सफल हो गया। फिर प्रश्न पूछा गया कि किसान की गरीबी दूर करने के लिए आप अनाज के समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना कैसे करोगे? इसके लिए उनको अनेक प्रकार की सहायता दी जाएगी और दी जा रही है।

महोदय, सिंचाई का रकबा बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 6 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई होती थी। जब हमारी सरकार आई, तो वहां पर अब 40 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई हो रही है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, अब यह 60 लाख हो गई है।

श्री मेघराज जैन : अब यह 60 लाख हो गई है। रीवा के पास बरगी बांध बना दिया गया, लेकिन बांधों में नहरें नहीं बनीं, खाली बांध बने हुए थे।...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : मेघराज जैन जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री मेघराज जैन : बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बरगी डैम बन गया और जहां तक वहां के नेता का इलाका था, उस तरफ की नहर बन गई, लेकिन दूसरी

तरफ की नहरें बनीं ही नहीं। जब हमारी सरकार आई, तो हमने उन नहरों को बनवाया। आज गांव-गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

(2F/RPM पर जारी)

RPM-KGG/2F/5.10

श्री मेघराज जैन (क्रमागत): उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां गरीब बच्चों, आदिवासियों और हरिजनों के बच्चों, दलित जाति के बच्चों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को सरकार ने लोडिंग रिक्शे दिलाए। मेले लगाकर उन्हें उन रिक्शों की चाबियां दीं। आज वे बच्चे उन रिक्शों के माध्यम से पूरे दिन काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और शाम को बड़ी खुशी से घर जाते हैं।

महोदय, मैं झाबुआ जिले का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं वर्ष 1963 में झाबुआ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक था। वहां उस समय मैंने देखा कि आदिवासी के सिर पर एक कपड़ा बंधा होता था, कमर में एक धागा रहता था और उसके आगे एक कपड़े की पट्टी लगी होती थी। इसके अलावा उसके हाथ में तीर-कमान होता था। वैसा दृष्य आज आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप आज वहां जाएं, तो आप देखेंगे हर नौजवान के पास मोटरसाइकिल मिलेगी। यदि एक आदिवासी के घर में चार बच्चे हैं, तो उस घर में चार मोटर साइकिलें हैं। आज उनके घर पक्के हैं। उनके बच्चे पढ़े-लिखे हैं।

बच्चियां स्कूल जा रही हैं। वहां की सरकार ने बच्चियों को साइकिलें दी हैं, ड्रेस दी है और किताबें दी हैं। इस प्रकार से विकास का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने तय किया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम इस देश का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महोदय, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।

(समाप्त)

PAPERS LAID ON TABLE (Contd.)

SHRI RADHAKRISHNAN P.: Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 24/2018-Customs, dated the 6th February, 2018, seeking to further amend Notification No. 50/2017-Customs dated 30th June, 2017, so as to increase import duty on sugar [Raw sugar, Refined or White sugar, Raw sugar if imported

by bulk consumer] under tariff head 1701, from the present 50% to 100% with immediate effect and without an end dated, under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with an Explanatory Memorandum thereon.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 25/2018-Customs, dated the 6th February, 2018, seeking to increase BCD tariff rate on chana (chickpeas), falling under Tariff heading 0713 20 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) from 30% to 40%, under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with an Explanatory Memorandum thereon.

(Ends)

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS – contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Shri B.K. Hariprasad, not present; Shri K.T.S. Tulsi, not present; Shri Sanjay Raut now.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, वे जो पढ़ते हैं, वह कोई उनका व्यक्तिगत विचार नहीं होता है। केन्द्र सरकार द्वारा जो काम भविष्य में करने हैं या हो गए हैं, उनका ब्यौरा होता है और इस प्रकार से केन्द्र सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति महोदय पढ़ते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से जो मुद्दे रखे हैं, उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आम नागरिक का जीवन आसान करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कमजोर वर्गों के लिए सरकार क्या काम कर रही है, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। इस बारे में राष्ट्रपति जी ने विस्तार से अपने भाषण में कहा है। उसी बात को अमित शाह जी भी आगे ले गए। अभी-अभी मैं श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी का भाषण सुन रहा था। आपने बहुत सारे मुद्दे रखे, मैं उनके समर्थन में हूं। देश में जो रहा है या होने जा रहा है, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बात रखी है।

महोदय, बहुत से विषय ऐसे हैं, जैसे शौचालय हैं, बिजली है, गैस कनेक्शंस हैं, पानी है और विदेश नीति के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी है, लेकिन मेरी पार्टी शिव सेना की जो चिन्ता है, वह खासकर के देश की सीमाओं पर आज जो अशान्तता है, उसके बारे में है। डोकलाम में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है और खासकर के जम्मू-कश्मीर की जो स्थिति है, उस बारे में देश भी गंभीर है और हम सभी को चिन्ता है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो आज आतंकवाद और हिंसा है, उसके लिए सीमा पार से होने वाली घुसपैठ जिम्मेदार है। आज जम्मू-कश्मीर की सीमाएं अशान्त हैं। आज पाकिस्तान एक बार नहीं, बल्कि बार-बार हमारे देश में आतंकवादी हमले कर के घुसपैठ कर रहा है। कल सबसे बड़ा हमला हुआ। हमारी चौकी पर मिसाइल हमला हुआ। आज भी अखबार

में इस बारे में कुछ खबर आई है। कल हमारे एक कैप्टेन सहित चार जवान शहीद हुए। कैप्टेन कपिल कुंडू, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी।

(2 जी/पीएसवी पर जारी)

PSV-KLS/2G/5.15

श्री संजय राउत (क्रमागत): 10 फरवरी को उनका जन्म दिन था, लेकिन उसके पहले ही कैप्टन कुंडू शहीद हो गये। मरने से पहले उनका जो सोशल मीडिया पर स्टेटस था, उसमें वे लिखते हैं कि "जिन्दगी लम्बी नहीं, बड़ी होनी चाहिए।" कैप्टन कपिल का मरने से पहले यह स्टेटस रहा। देश के लिए बड़ी जिन्दगी जीने का वादा कैप्टन कपिल ने पूरा किया। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, पीड़ा की भी बात है। वाइस चेयरमैन सर, जीवन तो सभी जीते हैं। हम सभी में से कइयों को तो दीर्घायु भी प्राप्त होती है, लेकिन कम उम्र में बड़ी जिन्दगी जीने का और मातृभूमि का ऋण चुकाने का भाग्य कैप्टन कपिल जैसे गिने-चुने सपूतों को ही मिलता है। हम सब को लम्बी उम्र मिली है, कैप्टन कपिल से भी, इसलिए हम यहाँ लम्बी-लम्बी बातें भी करते हैं, लेकिन जो जीवन कैप्टन कपिल ने जीया है, ऐसा जीवन जीने के लिए, उस तरह का जीवन अपने बच्चों को जीने देने के लिए असीम साहस की जरूरत होती है। कैप्टन कपिल और उनकी वीर माता के पास वह साहस था और यह देश हमेशा उन वीर माताओं का और वीर पत्नियों का ऋणी रहेगा। लेकिन सवाल यह है, वाइस चेयरमैन सर, कि कब तक हम अपने सामने ऐसे सैकड़ों कपिलों की शहादत होती देखते रहेंगे, हम

कब बदला लेंगे और कब पाकिस्तान को सबक सिखायेंगे? पठानकोट और उरी की घटनाओं के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने जरूर किया है, लेकिन बार-बार एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम यहाँ बतायेंगे, बोलेंगे और फिर भी पाकिस्तान खुराफातें करेगा, हमले करेगा? हमारे कार्यकाल में, मैं अब 60-70 साल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देश की जनता ने हमें इसलिए चुन कर भेजा है कि हमें यह सब कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। तीन साल में, चार साल में ऐसे कितने कैप्टन्स, कितने मेजर्स, कर्नल्स और जवान शहीद हुए हैं! हमारे बच्चों की शहादत पर हमें गर्व है, लेकिन अब गर्व की नहीं, बदला लेने की जरूरत है। 4 के बदले 40 और 5 के बदले 50 मारने की बात हमने बहुत बार की है। यह बात सिर्फ हमें आगे लेकर जाने के लिए--जैसा आपने कहा कि सरदार पटेल अगर होते, तो बहुत से प्रश्न खत्म हो जाते, कश्मीर का प्रश्न नहीं रहता, लेकिन अब मोदी जी हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 4 के बदले 40 और 5 के बदले 50 मारने की बात जो हमने की है, वह पूरी करनी चाहिए।

पाकिस्तान ने कल हमारी चौकी पर मिसाइल हमला किया, मिसाइल दागे। तो हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो शस्त्र हैं, वे क्या हमने राजपथ के ऊपर प्रदर्शन के लिए ही रखे हैं! 26 जनवरी को हम वहाँ बैठते हैं, पूरा विश्व देखता है कि हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं, इतने शस्त्र हैं, तो हमें भी पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैं किसी के

ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा। 70 साल के बाद भी हमें यह विश्वास है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा हमारे मन में है, तिरंगा हमारे रग-रग में है, लेकिन इसी तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं और आज तिरंगे के नाम पर हिंसा होती है, गोली चलती है, राजनीति होती है। अगर हमें तिरंगा यात्रा निकालनी है, तो मुम्बई में मत निकालो, दिल्ली में मत निकालो, पटना में मत निकालो, हमें तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत कश्मीर में है, पूंछ में है, राजौरी में है, लाल चौक में है। प्रधान मंत्री जी नेतृत्व करें, पूरा देश उनके नेतृत्व में कश्मीर में तिरंगा यात्रा में शामिल होगा।

वाइस चेयरमैन सर, दुर्भाग्य की दूसरी बात यह है कि कश्मीर में हमारे जवानों के खिलाफ एफआईआर दाखिल हो रहे हैं। जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनको हम गुनाहगार ठहराते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करेंगे? "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे देने वाली हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश होती है, तो हमारे जवानों पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है। अगर यह सब होता है, तो हमारे जवान मूक दर्शक बन कर खड़े रहेंगे! गोली चलेगी देश की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए, तो हमारे जवानों के खिलाफ अगर एफआईआर दाखिल होता है, तो यह कौन सी राष्ट्रभक्ति है? कश्मीर हमारे हिन्दुस्तान में है और हमारे जवानों को गुनाहगार ठहराया जाता है, तो मुझे लगता है, वाइस चेयरमैन सर, उस बारे में केन्द्र

सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और वहाँ की सरकार से सवाल पूछना चाहिए।

(2एच/वीएनके पर जारी)

VNK-SSS/2H/5.20

श्री संजय राउत (क्रमागत) : कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा आज भी अधर में लटका है। कश्मीरी पंडितों को हमारा वादा है कि आप घर वापस जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने कश्मीर में जाएंगे, लेकिन यह नहीं हुआ है, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। पीछे क्या हो गया, आगे क्या होगा, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मैं यह मानता हूँ कि चार साल में राष्ट्र बहुत आगे गया है। इन चार सालों में इस देश में ऐसी बहुत सी बातें हुईं, जो पचास-पचास साल में नहीं होंगी, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा इस देश में है। वह आज का नहीं है। कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, बहुत से नेताओं ने बात की है, तो पकोड़ा रोजगार की बात हुई। देखिए, पकोड़ा रोजगार, यह कोई अपने देश का स्वाभिमान का विषय नहीं है, लेकिन है, अगर हमने इस देश में रोजगार देने की बात की है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश में नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, नए उद्योग शामिल होने चाहिए, उनमें बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पकोड़ा रोजगार का जिक्र हुआ है। पकोड़ा रोजगार की तुलना भिखारियों से किया जाना भी गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 के दशक में मुम्बई में हमने लोगों को वड़ा-पाव

बेचने के लिए मजबूर किया था। जो बेरोजगार युवा हैं, जो घर में बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि आप ऐसे मत बैठिए, रोजगार के लिए वड़ा-पाव बेचिए। वड़ा-पाव के निर्माता हम हैं, शिव सेना है, बाला साहेब ठाकरे जी हैं। उन्होंने कहा था कि आप वड़ा-पाव बेचिए और रोजगार कमाइए। आज मुम्बई में शिव सेना की छत्रछाया में 5 हजार वड़ा-पाव के ठेले हैं। ये पूरे महाराष्ट्र में हैं और एवरेज 5 हजार से 10 हजार रुपए तक उनकी आमदनी भी है। लेकिन आज उनको क्या तकलीफ है? मुम्बई का वड़ा-पाव पूरे देश और विदेश में फेमस है, लेकिन वड़ा-पाव के जो ठेले होते हैं, municipality वाले, सरकार, पुलिस, कानून उनको सड़क पर बैठने नहीं देते हैं, उनका पूरा ठेला उठा कर लेकर जाते हैं। अगर हम पकोड़ा बेचने की बात करते हैं, तो हम दिल्ली में मुम्बई से 50-100 लोग लेकर आए और हमने उनको कहा कि आप दिल्ली के रास्ते पर पकोड़ा बेचिए, तो क्या सरकार उनको प्रोटेक्शन देगी? अगर पकोड़ा रोजगार की बात है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए, एक कानून बनाइए और ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। आप ऐसे ही हवा में बात मत कीजिए। आज मुम्बई में हो, देश में हो, दिल्ली में हो, आप बताइए, हम 10 हजार बेरोजगार युवाओं को पकोड़ा, वड़ा-पाव बेचने के लिए officially license दे देंगे, तब यह पकोड़ा रोजगार की बात आगे चलेगी। आपने इसके बारे में बात की, उसके ऊपर वहां से अलग बात होती है, कोई भिखारी कहता है, कोई और कुछ कहता है, यह नहीं होना चाहिए।

महोदय, हम किसानी की बात करते हैं। यह सरकार गरीबों की है, किसानों की है, यह बात प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कही है, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान में खास करके महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में किसान मर रहा है। आज भी मर रहा है। हमारी सरकार है, लेकिन किसान मर रहा है, आत्महत्या हो रही है। 15 दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्रालय में कितना बड़ा हादसा हुआ? धरमा पाटिल नाम का एक किसान था, उसकी उम्र 84 साल थी, वह मंत्रालय में गया और उसने आत्महत्या कर ली। अठावले जी, आपको मालूम होगा कि यह कितना बड़ा इश्यू है। जब 84 साल का किसान आत्महत्या करता है, उसका आक्रोश सुनने के लिए वहां कोई मंत्री नहीं गया, न कोई अधिकारी गया और वह बेचारा मर गया। अगर ऐसी घटना हमारे राज्य में होती है, तो मुझे लगता है कि यह हमें शोभा नहीं देता है। आज भारत दुनिया का छठे नंबर का सबसे अमीर देश बना है। यह सबको मालूम है। किसकी संपत्ति बढ़ी है? यह निजी संपत्ति के मामले में हम छठे नंबर पर हैं। अगर हम सबसे अमीर देश हैं, तो किसान और बेरोजगार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो सरकार चिंतित होती है, लेकिन किसान मरता है, तो सरकार को चिंता नहीं होती है। आज यह जो राजनीति है, वह सरकारें नहीं चलाती हैं, बल्कि यह राजनीति राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं।

अपनी पार्टी के विस्तार के लिए वे राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि जब यह बंद होगा, तब देश आगे जाएगा और देश का विस्तार होगा।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का चुनाव एक साथ कराने की बात की है। मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। अगर यह बात देश के हित में है, इससे देश का पैसा बचता है, समय बचता है, तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अगर राजनीतिक फायदे के लिए यह बात होती है, तो इसके लिए सबसे बड़ी डिबेट होनी चाहिए।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो देश, समाज और राष्ट्र को आगे लेकर जाने वाली बात है। मैं इसी बात से अपने भाषण को विराम देता हूँ और फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को धन्यवाद देता हूँ।

(समाप्त)

(2जे/एनकेआर-एनबीआर पर आगे)

-SSS/NBR-NKR/2J/5.25

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri D. Raja. He is absent. Shri Joy Abraham. He is also absent. Shri Ramdas Athawale.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : आदरणीय उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन सामने की पंक्तियों में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ..(व्यवधान).. पीछे तो हैं, लेकिन जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चलती है तो लोकतंत्र में उस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, हंगामा भी होना चाहिए और वॉक-आउट भी होना चाहिए।

श्री उपसभापति : वॉक-आउट होना चाहिए, लेकिन हंगामा नहीं होना चाहिए। ..(व्यवधान)..

श्री रामदास अठावले : जहां वॉक-आउट होना चाहिए, वहीं थोड़ा-बहुत हंगामा भी होना चाहिए।..(व्यवधान).. सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि -

'राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश को दे रहा है विकास की दिशा,

क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी को है गरीबों का कल्याण करने का नशा।

***** ने की है पूरे देश की दुर्दशा,

***Expunged as ordered by the Chair.**

अब एन.डी.ए. सरकार की तरफ है सारे देश को आशा।'

वैसे जब भी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, हर बार हम उस पर चर्चा करते हैं। हर अभिभाषण में

तत्कालीन सरकार अपनी भूमिका रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सरकार ने जिन मुद्दों को इसमें शामिल किया है, उसमें देश के गरीब, महिला, आदिवासी, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक, व्यापारी वर्ग और उद्योगपति आदि सभी का भला करने की भूमिका शामिल है। सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन सब की भूमिका राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में रखी है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात भी कही है। लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव सबसे पहले वर्ष 1952 में हुए थे, जब देश में पहला चुनाव हुआ था। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान बनाकर 26 नवम्बर, 1949 को डा. राजेन्द्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुर्द कर दिया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को देश में लागू किया गया। उसके बाद देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। पहले लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में, इधर के सदस्यों के उधर जाने और उधर के सदस्यों के इधर आ जाने से कुछ समस्या आ गई। समय-समय पर विधान सभाएं dissolve होती रहीं, लोक सभा dissolve होती रही - कभी 13 महीने में, कभी 18 महीने में, कभी 6 महीने में विधान सभाओं में इस तरह की घटनाएं घटती रहीं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो मुद्दा रखा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हों, वह थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसके लिए पूरे देश में आम-सहमति बनानी पड़ेगी। पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ेगा। किसी भी राज्य में 5 साल की अवधि पूरी होने पर ही चुनाव हो सकता है। लोक सभा का चुनाव भी 5 साल बाद ही हो सकता है।

पहले वन-थर्ड सदस्यों के टूटने पर परमीशन थी, लेकिन अब टू-थर्ड होने से सदस्यों के इधर से उधर जाने की घटनाओं में कमी आई है। वैसे मैं मानता हूं कि जहां हवा होती है, उधर जाना चाहिए, लेकिन जहां हवा नहीं, उधर जाने से क्या फायदा? ..(व्यवधान).. जाना भी चाहिए, लेकिन हवा न होने पर वापस भी आ जाना चाहिए। ..(व्यवधान).. इस देश में ऐसा होता रहा है, इसीलिए मैंने कहा।..(व्यवधान).. हवा देखकर जाना चाहिए, मगर वापस भी आ जाना चाहिए। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें आम सहमति बनानी होगी। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर चुनाव में हम नेताओं को अपने क्षेत्र में जाकर भाषण करना पड़ता है, लोगों से कहना पड़ता है कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो।

(2J/DS पर जारी)

DS-USY/5.30/2K

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) : अगर हम एक साथ जाएँगे, तो लोक सभा और विधान सभा का कैंडिडेट अपना प्रचार करेगा। हम उनका प्रचार तो करेंगे ही और कम पैसों में ही चुनाव हो जाएगा, इसलिए इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यह सरकार और नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, दलितों के आरक्षण की सुरक्षा करने की भूमिका रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा बहस करते हैं कि यह सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बदलेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान कैसे बदल सकता है? कैसे बदलेगा संविधान? कौन बदल

सकता है संविधान? अगर संविधान बदलेगा, तो हम सब लोगों को बदल देंगे। संविधान कैसे बदलेगा? संविधान को ये बदल नहीं सकते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने लोक सभा में बताया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वह मेरा धर्मग्रन्थ है। मोदी जी बोल रहे हैं, तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नरेन्द्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद उन्होंने पंतप्रधान पद की जिम्मेदारी ले ली है। वे पहली बार लोक सभा में चुन कर आए। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा, जब वे लोक सभा में पहली बार चुन कर आए और प्रधान मंत्री बन गए। ऐसा कोई आदमी उधर है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई आदमी है, जो पहली बार चुन कर आया हो और प्रधान मंत्री बन गया हो? ठीक है, वे प्रधान मंत्री बन गए हैं, लेकिन यह बात भी ठीक है कि एक बार में ही पूरा कल्याण नहीं होगा, सबको न्याय नहीं मिलेगा। जीएसटी आ गई है और उसका slowly and silently फायदा होगा और नोटबंदी का फायदा भी slowly and silently होगा। गरीबों का भी भला हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें टाइम देने की आवश्यकता है। यह पाँच साल में कैसे हो सकता है? अब 2019 का चुनाव है। राजस्थान में आपने चुनाव जीत लिए हैं और दो-तीन जगहों पर आपको सफलता मिली है। यह अच्छी बात है, हम आपका अभिनन्दन करते हैं, लेकिन 2019 में आपको हमारा भी अभिनन्दन करना होगा, क्योंकि हम जीतने वाले हैं। हम 2019 में चुनाव जीतेंगे। आप कितनी भी

कोशिश करते रहिए, लेकिन हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी। शिव सेना रहेगी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ...(व्यवधान)... लेकिन, मैं कोशिश करूँगा कि शिव सेना, बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था कि शिव शक्ति और शिव शक्ति इकट्ठी आनी चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जी के प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम, उसको मान्यता देने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम मैंने किया है।

श्री संजय राउत : आप शिव शक्ति के साथ आइए न।

श्री रामदास अठावले : शिव शक्ति के साथ भीम शक्ति? शिव शक्ति का मतलब, शिव सेना एवं बीजेपी और भीम शक्ति का मतलब, आरपीआई। मैं आपके साथ भी हूँ। हम सरकार में इधर भी साथ में हैं और उधर भी साथ में हैं और थोड़ा उल्टा-सीधा बोलना चलता रहता है। लेकिन, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मित्र हैं और लोक सभा में आपको हमारे साथ रहना चाहिए। अगर विधान सभा में भी साथ रहने की इच्छा है, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं अमित शाह साहब से बात करूँगा। हमें एक साथ रहना चाहिए। अगर हम अलग-अलग हो जाएँगे, तो उनका फायदा हो जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री संजय राउत : आपकी लीडरशिप में हो जाएगा।

श्री रामदास अठावले : वह बात नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे। अभी हमारे टीडीपी के साथी भी माँग कर रहे थे। उनको जो चाहिए, वे लोग ले लें। ...(व्यवधान)... आपको जो चाहिए, ले लो, बाकी जो बचा है, वह सब हमको दे

दो। ...(व्यवधान)... मतलब, आपको आंध्र प्रदेश के लिए जो पैसे चाहिए, वह ले लो। अभी अमरावती नई कैपिटल बनी है और वहाँ तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश दो स्टेट्स बने हैं। तो आंध्र प्रदेश को भी न्याय मिलना चाहिए, तेलंगाना को भी न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र को भी न्याय मिलना चाहिए। महाराष्ट्र अपने देश की आर्थिक कैपिटल है। महाराष्ट्र में झुग्गी-झोंपड़ी में लोग रहते हैं और वहाँ इन सारे नामों की स्कीम्स भी हैं, तो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।

संजय राउत जी ने बताया कि वहाँ हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान वाले हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे सामने चुल्लू-पिल्लू है। मतलब, हम तो टाइगर हैं, लेकिन हमारे सामने पाकिस्तान एकदम छोटा है। लेकिन, पाकिस्तान हमेशा गड़बड़ी करता है। वह हमारे आदमियों को मारता है, चाहे वह कपिल हो अथवा कोई और हो। वह हमेशा हमले कर रहा है। जिस तरह, अटल जी ने बोला था कि एक बार आर-पार की लड़ाई होनी चाहिए, तो एक बार पाकिस्तान के सामने हमें यह ऐलान करना चाहिए कि या तो तुम चुपचाप बैठो, दोस्ती करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन जब एक बार हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे -- तो हमें ऐसा भी करना पड़ेगा कि पाक-व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना होगा। डिप्टी चेयरमैन सर, पाक-व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए और जब वह आ जाएगा, तो पाकिस्तान को भी अपने ताबे में लेना

चाहिए। हमें एक बार यह काम भी करने की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है।

(2एल/एमसीएम पर जारी)

MCM-PK/2L/5.35

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) : मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का यह अभिभाषण है तथा दलितों और सभी गरीब वर्गों को न्याय देने के लिए है। नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं। बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा होना चाहिए। उसके लिए हमारी कोशिश है। दलितों पर अत्याचार भी हो रहे हैं, पुणे के पास भीमापुर में दलितों पर हमला हुआ और जगह-जगह पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो सब लोगों को मिलकर दलितों को न्याय देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, हम एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना-पीना भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि समाज में एकता भी पैदा हो रही है, लेकिन कुछ लोग समाज में फूट डालने का काम रहे हैं। इसलिए समाज में दलितों को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। भीमापुर में जिन्होंने इस तरह का अत्याचार किया है, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उनको कठोर सजा होनी चाहिए। हमारा समाज शांति को मानता है, पीस को मानता है। हम ऐसा कोई संघर्ष करना नहीं चाहते। महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए।

यह मांग मैंने की है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आरक्षण जाट मांग रहे हैं, पाटीदार मांग रहे हैं। तो मोदी साहब और अमित शाह साहब को तथा हम सब लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो एस0सी0, एस0टी0 या ओ0बी0सी0 में नहीं हैं, ऐसी अन्य जो जातियां हैं, जाट हैं, मराठा हैं, पाटीदार हैं, पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे सब लोगों को भी एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आरक्षण को टच न करके बचे हुए 50 परसेंट में 25 परसेंट आरक्षण अगर उनको दे दिया जाता है तो एक अच्छा कदम हो जाएगा और इनका झगड़ा भी खत्म हो सकता है। दलितों पर अत्याचार का एक कारण यह भी है कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को, सभी पार्टियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। समाज में जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को भी शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर भी निर्णय होने की आवश्यकता है। महिलाओं के आरक्षण का जो बिल पैंडिंग है, महिलाओं को वन थर्ड सीटें मिलनी ही चाहिए। अगर लोकल बॉडीज़ में 50 परसेंट आरक्षण हमने दिया है तो लोक सभा और विधान सभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तीन तलाक का जो बिल है, वह भी पास होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। ओ0बी0सी0 का बिल पैंडिंग है। इसलिए तीन तलाक और ओ0बी0सी0 के बिल को कांग्रेस को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस वाले क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन वे कुछ करें या न करें, अब ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो महिलाओं की

पूरी वोटिंग हमको मिलेगी, सब मुस्लिम महिलाओं का वोट हमको मिलेगा, आधे मुसलमानों का वोट भी हमको मिलेगा और फिर हमको सब मिलेगा, तो उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं और अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। जय भीम, जय भारत!

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Ramdas Athawale*ji.* Now, Shri Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, how many minutes will you give me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many minutes do you want?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, before I start speaking on the subject, I have a point of order, but it may not be counted in the time allotted to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. What is the point of order?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the point of order is whether the Rules of this august House permit the Members belonging to a

particular political party which is partnering with the Treasury Benches, and Members of this political party who are also part of the Cabinet, which has approved the President's Address placed before it, to troop into the well of the House and, then, protest against the President's Address. This is my point of order, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under what rule?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, your goodself is well aware of the rules. I am the juniormost Member and I have only 19 month's experience in this august House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In a democracy, dissent is always possible. Now, you can start.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, you have not…….

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have every right to dissent at any point of time.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The other thing is propriety. You understand this.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is very unfortunate. This is against the rules. …(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That you can say. That is a political point.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: If at all Members belonging to that political party want to protest, the Members of that political party, who are also part of the Cabinet, should first resign from the Cabinet in view of the collective responsibility of the Cabinet and then they should protest against the President's Address.

(Followed by PB/2m)

PB-SC/2M/5.40

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you, it is only a question of propriety. Now, you can start.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Thank you. Sir, my time starts now. How much time can you give me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You take 15 minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay. Thank you very much, Sir.

Sir, the Presidential Address does not mention the grant of special category status to the residuary State of Andhra Pradesh and I would like to explain the facts to your goodself. The then hon. Prime Minister of this country on 20th February, 2014 had assured on the floor of this august House that the special category status would be

granted. Though it is not incorporated in Andhra Pradesh Reorganization Act, it is an assurance that has been given by the then hon. Prime Minister which has not been adhered to. Sir, when a promise has been made on the floor of the House and if it is not adhered to, then the only option that we have is that the matter would be referred to the Committee of Assurances and the outcome of the Assurances Committee -- probably you will be aware; I don't know, Sir – and recommendations to be implemented, the consequences/ repercussions and all that. This is one issue.

The second point is, the Union Cabinet on 3rd March, 2014 had taken a decision to grant the special category status to the residuary State of Andhra Pradesh and decided that the matter be referred to the then existing Planning Commission. Sir, whether the matter had to be referred to the Planning Commission or not, it was the prerogative of the Government. It was not mandatory. It was well within the purview and jurisdiction of the Government of India to grant the special category status and the Union Cabinet, on its own, would have granted the special category status even without referring it to the Planning Commission by way of Executive Order. Sir, in fact, the

Bharatiya Janata Party, which is ruling now, had included this in their Manifesto in 2014 and it is part of their Manifesto. Sir, why are we clamoring for special category status? It is not merely for the sake of asking 'special category status' that we are asking it. Sir, when the State was divided, when the Congress Party had decided unilaterally and damaged the interest of the people of Andhra Pradesh, it was the decision taken then, and in the light of the fact that the Capital of Hyderabad was going to Telangana …

Sir, I get disturbed when somebody talks.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: I request the hon. Members to maintain silence if it is possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody is talking. There is silence.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, Hyderabad, which was the Capital of composite Andhra Pradesh, had the film industry there, had the software industry there, had the majority of the public sector undertakings; and the software industry had an annual turnover of approximately Rs. 80,000 crores. All these institutions have gone to Telangana and the residual part of Andhra Pradesh has been left as an

agrarian State. Therefore, the special category status to this residual State of Andhra Pradesh was imminent and necessary for the development of Andhra Pradesh, in order to have development of the State of Andhra Pradesh on par with the neighbouring States and other States of this country. That was the reason why this special category status has been asked for.

(Contd. by 2n/SKC)

SKC/2N/5.45

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (contd.): Sir, the hon. Finance Minister, while making a reply on this issue, has pointed out several times that the Fourteenth Finance Commission has prohibited granting of Special Category Status to any of the States after the Planning Commission was abolished. This is the reply that he had given, but that is not so. I have gone through the Fourteenth Finance Commission Report and, to the best of my knowledge, nowhere has the Report stated that Special Category Status should not be given to any State. In fact, they have no jurisdiction in this matter. They have not dealt with this matter at all. The Fourteenth Finance Commission has not made any distinction between the Special Category States and other States insofar as

devolution of funds in respect of revenue deficit is concerned. This is what they have stated. Nowhere have they stated that Special Category Status should not be granted to any of the States. Further, I would like to point out in this august House that the Finance Commission's recommendations can only be recommendatory in nature and those cannot be binding on the Government. Therefore, Government taking a stand and giving the reason that the Fourteenth Finance Commission has prohibited the granting of Special Category Status to the residuary State of Andhra Pradesh is totally unwarranted and unbelievable, and not tenable in law.

Sir, coming to the second issue in the Re-organization Act, the President's Address does not mention anything about this. Now, that was a promise made by the then hon. Prime Minister on the floor of this House; this is what has been incorporated in the Act -- the Fifteenth Lok Sabha had passed it, the Rajya Sabha had also passed it, and it is part of the law -- and, it has been categorically stated in Schedule XIII of the Andhra Pradesh Re-organization Act that a separate Railway Zone, with Visakhapatnam as its headquarters, would be granted and would be constituted. Sir, four years have gone

after the enactment was made. What happened to the provisions? Is it not the responsibility of the Government to implement the provisions of the Act? This is the question that I wanted to be answered.

Sir, similarly, insofar as other issues are concerned, in the Act itself it has been categorically stated that a steel plant would be set up in Cuddapah district of Andhra Pradesh. It has not been implemented, and there is nothing about it; there is no mention about it so far. In the same Schedule, it has further been stated that a sea port would be constructed at Durgarajapatnam, close to Chennai, on the Andhra Pradesh-Tamil Nadu border.

Similarly, it has been stipulated in the Act that a petro-chemical complex would be constructed in Visakhapatnam. There is nothing, and there is no mention about it. Four years are over. Then, there is the Vizag-Chennai Industrial Corridor that has been promised in the Act, and it has not been implemented so far.

Sir, apart from this, the last item, which is also very important, is that the Act also provided that a metro rail project would be considered and constructed, both at Visakhapatnam as well as on the Vijaywada-Guntur-Tenali route. What happened to that?

Sir, if the provisions of a particular Act are not implemented, where should we go, whom should we ask? So, this is the status insofar as the implementation of the Andhra Pradesh Re-organization Act is concerned. Insofar as the Polavaram Dam is concerned, sub-Section(iv), Section 90 of the Andhra Pradesh Re-organization Act is very clear that it would be implemented by the Central Government and also the cost would be borne by the Central Government. In fact, subsequently, there was a proposal that post-2014 increase in the prices should be absorbed by the State. This was the proposal that was mooted. Of course, it is not tenable and, as per the Act, it is the responsibility of the Central Government to complete the Polavaram Project, whatever be the project cost. Whether it is pre-2014 prices or post-2014 prices, it does not make any difference.

(CONTD. BY HK/2O)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): Sir, further it has been assured …(Interruptions)… Sir, warn me three or four minutes in advance so that I can conclude it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given you fifteen minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, in the same Andhra Pradesh Reorganisation Act, it has been categorically stated that seven districts in Andhra Pradesh have been identified as backward districts -- Vishakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam and, on this Rayalaseema side, Cuddaph, Kurnool, Chittoor and Anantapur. For these seven backward districts, a package has been announced and the Package would be similar to that of Bundelkhand Special Package in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and that of Koraput-Bolangir-Kalahandi. This is the Package which has been stipulated in the Act. I have gone through the Package that has been announced and that has been given to the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, where the Government of India has spent for both the packages approximately Rs.5,376 crore. In terms of the provision of this Andhra Pradesh Reorganisation Act, for the seven districts, which have been declared as backward districts, the total amount that has been given

so far is only Rs.50 crore per district per year. It means it is Rs.50 crore multiplied by seven and for the last three years, Rs.350 crore multiplied by three, it comes to approximately Rs.1,000 crore. If the same Package that is similar to Koraput-Bolangir-Kalahandi is to be implemented, the total amount to be given for this particular Package should be more than Rs.5,000 crore. (Time-bell) Sir, I will take two more minutes.

Sir, I would like to bring to your notice one very important issue. Sir, let me be very frank in saying that the hon. Members of the Congress Party while participating in the Motion of Thanks for the Presidential Address have referred to the interference by the Government in the working of the investigating agencies like CBI, ED and Income Tax. I have no hesitation in saying that it is the Congress Party which has nurtured, which has articulated and which has established a very bad precedent of interfering in the working of these investigating agencies. I fondly hope that the successive Governments would not follow the bad precedent which has been set up. In fact, my party President and the President of Bharatiya Janata Party also are the victims of the interference in these investigating agencies by the

Congress Party during their UPA regime. (Time-bell) Sir, I am leaving all other points; I am coming to the last point.

(MR. CHAIRMAN in the Chair)

Sir, the Central Government and also many State Governments have been introducing welfare schemes for various people belonging to various castes, various communities, various regions and locations and professions which is really laudable because these welfare schemes take care of the interest of these classes of people. Sir, I would like to suggest one solution. The only solution that I can suggest is to provide basic income to every person below the poverty line, the poor and downtrodden of this country, irrespective of caste and creed.

(Contd. by DPS/2P)

DPS/HMS/2P/5.55

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): Sir, as Economic Survey, 2017, suggested, we should use the already existing infrastructure like Aadhaar-linked accounts and pre-determined basic amount to every BPL family. Sir, to say precisely, I suggest to the Government of India, I suggest to the ruling dispensation to implement universal basic income scheme to every person who is below the poverty line and who

is poor and down-trodden and deprived class of this country. After all, Sir, in case the universal basic income scheme is to be implemented, probably, the hon. Finance Minister is well aware that it will cost only 4 to 5 per cent of the GDP which is not phenomenally high, which this country can really absorb and afford to give. I am very much thankful to you, Sir, for the opportunity you have given.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have some observations to make and I would like to appeal to all the Members, who are present and not present, to take notice of what I am saying. From the day I have assumed the Office of Chairman of this august House, I have made it clear that any issue sought to be raised by any Member of the House, will be allowed to be raised provided proper notice is given and it is as per the rules. I have reasons to believe that no hon. Member would have any grouse in this regard. I am deeply concerned with the negative public perception of this august House on account of forced adjournments and that too quite frequently over the years which frequently follows a pattern, a pattern aimed at not allowing the House to function smoothly, come what may. Ever since I started Chairing

the proceedings of this House, leaders of several parties have conveyed their anguish to me, over how they are being deprived of their right to raise some of their concerns as some parties are strategically for disruptions leading to forced adjournment. I have shared this with floor leaders on many occasions. Many Members from back-benches, -- some of them are here, some of them are not there -- met me and told me, "Sir, after the main parties speak, they don't allow the House to function. Then we are deprived of an opportunity to put forth our point of view". That has really made me to seriously think that we must also find out a way.

Secondly, regarding the pattern of disruptions, I would like to share with the hon. Members that I have admitted a total of forty-two Zero Hour submissions during the last three working days - 2nd, 5th and 6th of this month. Who is to be held responsible for denying forty-one Members of their right to bring their concerns to the notice of this august House and to the Government? Even yesterday, the entire House saw in the Zero Hour, when I started taking up Zero Hour, there were disruptions. As insisted by the Member who had given notice, I allowed the hon. Member to make his submission in the Zero Hour. He

tried his best but his voice was not allowed to be heard. Who is responsible for the same? So, in that way, we have also given a trial that we call the Members, give some time and meanwhile, the message goes to the country. I need not explain as to what is happening to the image of this august House.

Another aspect of this pattern is that first the Zero Hour is disrupted and then even the Question Hour, the time when Members get an opportunity to question the Government, is also disrupted. The Question Hour belongs to the Members. They do a lot of work and then raise questions and the Government also collects information after so much effort. If the Question Hour is lost, then it is a loss to the House and it is a loss to the country. And there have been umpteen occasions -- I don't want to get into those details -- when the Question Hour was not allowed to be taken up in the House.

Another aspect is that on many occasions, once the House gets adjourned several times between 11.00 AM and 1.00 PM, in this era of

TV explosions, such frequent adjournments are adversely impacting the image and credibility of this House. This is where I am concerned.

(Contd. by 2Q - KSK)

KSK/ASC/6.00/2Q

MR. CHAIRMAN (CONTD.): In this backdrop, I thought that it would be better to adjourn the House for a longer period instead of resorting to frequent adjournments, that too when it becomes evident that some sections of the House are bent on not allowing smooth conduct of the House. I can tell you frankly some of them come to me and also tell me openly, "Sir, today, please don't misunderstand us." I don't want to name the parties. I have everything with me, including today, including yesterday. Then, when I know that the House is not going to be allowed to function, when people are going to create scenes, I thought that it would be in the interest of the House to see that such unruly scenes are not witnessed by the public. That is where I am concerned. There may be difference of opinion. Some people are saying, "No, Sir, it is democracy. Let these unruly scenes and all this behaviour also go on record. Let the people see and then let them decide." That can be one point of view. I don't differ with that. But I

have my own strong view, being in this House for years together and being in public life, that the image of the Parliament, the image of the other institutions has to be kept intact and it has to be raised. And, we have great Parliamentarians who have contributed their might to the country by meaningful debates in this House and also in the other House. So, I am very much concerned on that personally. Some of you, who have been discussing with me, also know as to what my concern is. My concern is confined not to the Parliament or Rajya Sabha alone. When I go to public functions also, I open up my mind and also tell the people that this should not happen; not about Rajya Sabha, even about other House because the Assemblies, the Municipalities, the Zila Parishads and the local bodies look up to the top institutions - the Parliament (Rajya Sabha, Lok Sabha) and other institutions.

So, we should not allow the image to go down. We have seen yesterday one observation made by one of the Judges of the Supreme Court with regard to what is happening in the Supreme Court. I don't want to recall that. So, that being the case, the idea is to protect the image and stature of the Parliament. So, my intention in adjourning it

for a longer period is that I want everybody to understand the seriousness and also the concern of mine. Today morning, I shared my concern with the Deputy Chairman and also with some of the floor leaders who were there in my Chamber. I urged the leaders to ensure smooth conduct of proceedings. I also told the leaders that if House proceedings were disrupted at the start, I would be left with no option but to adjourn the House till lunch. I made that very clear. My intention in doing so is to promote a sense of collective responsibility in minimizing or doing away with such forced frequent disruptions. When Members and parties realise that they would ultimately be the losers of such disruptions and adjournments, they would like to talk to each other and enable better functioning of the House. I realise some hon. Members have, perhaps, not properly understood my concerns and anguish over the functioning of this House.

I would like to reiterate again that it would be my commitment to allow any issue to be raised by anybody as per the rules. I have the weakness and the commitment to the rules, to the procedures, to keep the dignity of this House, and I am keen that I should stick to that. It is my commitment to allow any issue to be raised by anybody as per the

rules and procedures. Nobody should have any misgivings about that. About the Zero Hour submissions, which come to me, some of them are not even within the purview of the Central Government, some are concerned with the State Governments, but, I think, okay, if a Member wants to raise it, let it be raised. Sometimes, as you know, I used to insist upon Ministers also to respond, though in Zero Hour, there is no such responsibility on the part of the Government to respond immediately. They can send it later.

Now, why I am sharing this is, I am told that some Members have gone out and expressed their views. I don't want to join issue with them because as the Chairman, that is not for me to do, but I thought it is my responsibility to share with the country, to share with the Members, what is happening here. We should all see to it that the House functions effectively, the House functions constructively. For protests, there is a forum of protests and also criticism. We have seen yesterday how people spoke on President's Address from this side and from that side. Very eloquent speeches were made. Very strong criticisms were made. I have nothing to lose, nothing to choose this way or that way. I only want the House to function and also function as

per Parliamentary conditions and traditions. That is why, I want to make this very clear on the floor of the House.

Hon. Members, now, I would like to call Mr. La Ganesan.

(Ends)

(Followed by 2R - GSP)

Pp 154 onwards will be issued as supplement.